



जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 19 संख्या: 220

प्रभात

जालोर, शनिवार 16 नवम्बर, 2024

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 ₹.

पंजाब व हरियाणा के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई चण्डीगढ़ पर

इस बार “जंग” का कारण है दस एकड़ जमीन का प्लॉट, जो चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास है, जहां हरियाणा अपनी नई विधानसभा बनाना चाहता है।

- श्री नन्द झा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। पंजाब और हरियाणा एक बार फिर चण्डीगढ़ की लड़ाई में उत्तरी गोए हैं। पंजाब के नेताओं ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चण्डीगढ़ के साथ जमीन के आदान-प्रदान के लिये केन्द्र की चायत पर्यावरणीय स्वीकृति का जबरनत विरोध किया है। यह स्वीकृति चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आई है। पार्क रोड की तरफ नये विधान सभा भवन के निर्माण के लिये की गई है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री सिंह से लेकर नीचे तक के भाजपा नेता इस बात को लेकर उत्सहित हैं कि विधानसभा भवन के लिये इस पर्यावरणीय स्वीकृति से उच्च न्यायालय भवन के निर्माण के लिये अतिरिक्त जमीन के इच्छित अधिग्रहण का तराफ़ा सफारी हो जायेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार को कोशिशों का विरोध स्वयं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जायड़ ने भी योग्यता है। उन्होंने इस निर्माण के लिये निर्देश नीचे से लिए प्रधानमंत्री निर्देश मोदी से

- हरियाणा की प्रस्तावित विधानसभा की बिलिंग को केन्द्रीय सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने “किलररेस्स” (अनुमति) दे दी है।
- इस दस एकड़ प्लॉट को पाने के लिये हरियाणा सरकार ने पंचकुला में 12 एकड़ का प्लॉट, एक्सचेंज (बदले) में देना स्वीकार किया है।
- पंजाब के सभी नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इस बात पर संगठित व एकजुट हैं कि हरियाणा पंजाब के बीच इस तरह जमीन की अदला बदली है, गैर कानूनी है, क्योंकि यह तो चण्डीगढ़, पंजाब व हरियाणा की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास है।
- हरियाणा के नेता अति प्रसन्न हैं, जमीन की अदला बदली के प्रस्ताव को केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने से रास्ता खुल जायेगा और वे इसके बाद हरियाणा की हाईकोर्ट बिलिंग के लिये जमीन एक्सचेंज का प्रस्ताव भेज सकेंगे।
- अटपटी स्थिति पंजाब के राज्यपाल गुलाब कटारिया की है, क्योंकि वे पंजाब के राज्यपाल होने के साथ चण्डीगढ़ के प्रशासक भी हैं, तथा जमीन एक्सचेंज की कार्यवाही उनके ऑफर से ही होती है।

हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही से “पंजाबियों के आहरण” होंगी तथा पंजाब के लिये कोई प्रधानमंत्री की सभी पहल धूमिल हो जायेगी। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल ज्ञान चन्द्र गुरांड, जिन्होंने इस दिया में पहल की है, ने सुक्रवार को जरूर दें तो ये कहा कि प्रधान एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने हरियाणा के पंचकुला में 12 एकड़ के एक भूखंड को पर्यावरण एवं वन साक्षी सिक्किम निवासी अनिता सैनी व जयपुर के दामोदर शर्मा और नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी सहित घायल हुए शिशुपाल, गोकुल और दिनेश सैनी की अधिकारी नाम सहित घायल हुए करते हुए दिया। घायल में कुल 16 यात्रियों की जायेगी।

पंजाब का तर्क है कि नया विधान सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है। एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल गुलाबचन्द कटारिया के मिला था तथा जारी दें एक घटना में गर गई 27 एकड़ के भूखंड के बदले में चण्डीगढ़ के साथ इस जमीन की अदला-बदली की जायेगी।

पंजाब का तर्क है कि नया विधान सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है। एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल गुलाबचन्द कटारिया के मिला था तथा जारी दें एक घटना में गर गई 27 एकड़ के भूखंड के बदले में चण्डीगढ़ के साथ इस जमीन की अदला-बदली की जायेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अमरनाथ बस दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए’

जयपुर, 15 नवम्बर प्र०.ए.सी.टी. मामलों की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर रोडेज बस के अमरनाथ जाति समय 16 जुलाई, 2017 को दो सौ पीट गहरी खाइ में गिरने के मामले में

■ मोटर वाहन दुर्घटना मामलों की अदालत ने 16 जुलाई 2017 को अमरनाथ जाति समय हुए बस हादसे में चार मृतकों के आश्रितों व तीन घायलों को 1.48 करोड़ रु. के मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया है।

चार मृतकों के आश्रितों और तीन घायलों को ब्याज सहित कुल करीब 1.48 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। पीटारीसन अधिकारी आवाज गुप्त ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि अधिकारी सिक्किम निवासी अनिता सैनी के पंचकुला में 12 एकड़ के एक भूखंड को पर्यावरण एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने हरियाणा के पंचकुला में 12 एकड़ के एक भूखंड के बदले में चण्डीगढ़ के साथ इस जमीन की अदला-बदली की जायेगी।

पंजाब का तर्क है कि नया विधान

सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

बल्लैम याचिकाओं में अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

कार्यक्रम एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि अधिकारी नाम आरोपी के लिए हम 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए जारी कर दिया है।

राहुल ने कहा, “हम 56 इंच छाती

और मन की बात बाल नेरेंड्र मोदी से डरती नहीं है।

उन्होंने कहा, “इसीलिए हमने तय किया है कि ज्ञानखंड में अनुसूचित जनजाति जनजाति आरक्षण 28 प्रतिशत होगा, हम अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण एवं सिक्किम निवासी अनिता सैनी के पंचकुला में 12 एकड़ के एक भूखंड के बदले में चण्डीगढ़ के साथ इस जमीन की अदला-बदली की जायेगी।

उन्होंने कहा, “हम भी आदेश करते हुए कहा कि नया विधान सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

बल्लैम याचिकाओं में अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

कार्यक्रम एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि अधिकारी नाम आरोपी के लिए हम 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी, तथा ओ.सी.टी. के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी।

राहुल ने कहा, “हम 56 इंच छाती

और मन की बात बाल नेरेंड्र मोदी से डरती नहीं है।

उन्होंने कहा, “इसीलिए हमने तय किया है कि ज्ञानखंड में अनुसूचित जनजाति जनजाति आरक्षण 28 प्रतिशत किया जायेगा, तथा उनकी पार्टी एस.सी.टी. (अनुसूचित जाति) के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी, तथा ओ.सी.टी. के लिए 27 प्रतिशत रिज़र्वेशन की व्यवस्था करेगी।

राहुल गाँधी ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि नया विधान सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

बल्लैम याचिकाओं में अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

कार्यक्रम एवं वन के केन्द्रीय मन्त्रालय ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि अधिकारी नाम आरोपी के लिए हम 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी, तथा ओ.सी.टी. के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी।

राहुल ने कहा, “हम 56 इंच छाती

और मन की बात बाल नेरेंड्र मोदी से डरती नहीं है।

उन्होंने कहा, “इसीलिए हमने तय किया है कि ज्ञानखंड में अनुसूचित जनजाति जनजाति आरक्षण 28 प्रतिशत किया जायेगा, तथा उनकी पार्टी एस.सी.टी. (अनुसूचित जाति) के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का सुजन करेगी, तथा ओ.सी.टी. के लिए 27 प्रतिशत रिज़र्वेशन की व्यवस्था करेगी।

राहुल गाँधी ने यह भी आदेश करते हुए कहा कि नया विधान सभा भवन पंचकुला में भी बन सकता है, जो चण्डीगढ़ की हरियाणा द्वारा चाही गई जमीन मात्र 2 किमी की दूरी पर ही है।

बल्लैम याचिकाओं में अधिवक्ता बसन्त ने बताया कि 16 जुलाई, 2017 गई जमीन मात्र 2 किमी

